


तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स	नम्बर व जो
10/12/21	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 3 सपटित धारा 151 सीपीसी का बाजदायरी हेतु पेश किया कि वादी/प्रार्थी 77 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है, जिस वजह से अक्सर बीमार रहता है। और वृद्धावस्था एवं बीमारी के कारण प्रार्थी/वादी माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और न ही वादी/प्रार्थी ने तारीख पेशी की अपने वकील को सूचना दी, जिस कारण वादी/प्रार्थी को अनुस्थित दर्शाते हुए वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।</p> <p>वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 3 सपटित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करने में अपनी सहमति जाहिर की।</p> <p>बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 3 सपटित धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र बाजदायरी के साथ दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी मय शपथ पत्र पेश किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ यह पत्रावली संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल वफ़तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा </p>	

